

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

नम्बर
अहम
हुक्म
में

जैन अधिकारी - श्री रतनलाल रेगर, (आर.ए.एस.)

- 16/2017

उनवान

नन्दावीर पिता उदा ब्राहमण निवासी कोटडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)

(प्रार्थी)

बनाम

1. लालु पिता लालु कुम्हार निवासी कोटडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
2. लालु पिता उदा शर्मा निवासी कोटडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
3. देवकरण पिता नारायण ब्राहमण निवासी कोटडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
4. शंकर पिता जोरावर सिंह राजपूत निवासी कोटडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
5. किशनसिंह पिता भोपालसिंह राजपूत निवासी कोटडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
6. नन्दसिंह पिता भोपाल सिंह राजपूत निवासी कोटडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
7. अर्जुनसिंह पिता सवाईराम राजपूत निवासी कोटडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
8. लक्ष्मण सिंह पिता सवाईराम राजपूत निवासी कोटडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
9. सैतानसिंह पिता तेजसिंह राजपूत निवासी कोटडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
10. रामल पिता जेता बलाई निवासी कोटडी, तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज)
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक - 27.04.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 10.01.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम कोटडी पटवार मण्डल निम्बाहेडाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 98 के आ0न0 66/1, 275 कुल किता 02 कुल रकबा 04-10 बीघा स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता जाता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत वादपत्र इस न्यायालय में दिनांक 10.01.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह बताने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण नियत पेशी पर अनुपस्थित। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम कोटडी पटवार मण्डल निम्बाहेडाकंला भू0अ0नि0 रायला तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 98 के आ0न0 66/1, 275 कुल किता 02 कुल रकबा 04-10 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक रायला को 500/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू के आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)

उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक: 27.04.2017